Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5084 / 2003 / चित्तौडगढ

नारायण पिता देवजी जाट निवासी सांड तहसील निम्बाहेडा
जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– किशनलाल पिता पृथ्वीराज जाट
2– वरदू पिता भैरा जाट
3– शंकरलाल पिता भैरा जाट
4– कालू पिता भैरा जाट
5– लक्ष्मण पिता भैरा जाट
6– जडाव बाई पुत्री भैरा जाट
7– गंगाबाई पुत्री भैरा जाट
8– चांदीबाई पुत्री भैरा जाट
सभी निवासीगण सांड तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
9– शबाना पत्नी साजीद कलाम मुसलमान
10– जावेद खां पिता मो. शेर खान
दोनों निवासी साबा तहसील चित्तौडगढ
11– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौडगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एस. के. पुरोहित, अभिभाषक अपीलान्ट
अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा बहस सुनी,

दिनांक : 17 अप्रैल, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने समक्ष जैरकार अपील

<u>अपील डिक्री / टी.ए. / 5084 / 2003 / चित्तौडगढ</u>
नारायण बनाम किशनलाल आदि

संख्या–123/02 शीर्षक नारायण बनाम किशनलाल आदि को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / अपीलान्ट ने एक दावा संख्या–220/2 अन्तर्गत धारा–88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक नारायण बनाम किशनलाल आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक लाल के दो पुत्र भैरा तथा देवजी थे। वादी देवजी का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या–2 ता 8 भैरा के पुत्र हैं। भैरा मृतक लाला का बडा पुत्र था। इसलिये दावा में वर्णित भूमि का क्रय भैरा के नाम से संयुक्त परिवार की आमदनी से किया गया था जिसमें मृतक देवजी का 1/2 हिस्सा है। वादी / अपीलान्ट मृतक देवजी का पुत्र होने के कारण 1/8 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर वादी / अपीलान्ट को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित कर भूमि का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के द्वारा दावा का Contest नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 किशनलाल ने इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–2–2003 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–2–2003 से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–123/03 शीर्षक नारायण बनाम किशनलाल, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–2–2003 तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये, परन्तु कोई भी रेस्पोन्डेन्ट उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्ट ने स्वीकार किया है कि दावा में वर्णित भूमि पैतृक है। भैरा बडा पुत्र होने के कारण दावा में वर्णित भूमि उसके नाम से क्रय की गयी है। दावा में वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्ट ने भी स्वीकार किया है। स्वीकृती को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकृती के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर

अपील डिक्री / टी.ए. / 5084 / 2003 / चित्तौडगढ
नारायण बनाम किशनलाल आदि

दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाकर वादी / अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया जावे।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया।

6– दावा को साबित करने का दायित्व वादी पर है। एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध होने के पश्चात भी वादी को अपना दावा संदेह से परे साबित करना होगा। वर्तमान प्रकरण में वादी / अपीलान्ट अपने दावा को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैतृक सम्पत्ति किसी प्रकार से साबित होती है। अभिभाषक अपीलान्ट इस अपील में भी पैतृक सम्पत्ति साबित करने में असफल रहे हैं। दोनों पक्षकारों की रजामन्दी से विधि के प्रावधान के विपरीत कोई भी निर्णय अथवा आदेश पारित करने में न्यायालय सक्षम नहीं है। जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह निर्णित कर दिया है कि दावा पूर्णतया साबित नहीं है, तो द्वितीय अपील के माध्यम से समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

7– फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 5084 / 2003 / चित्तौडगढ

नारायण बनाम किशनलाल आदि